—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 143/2023

उनवान

1. मेवासिंह पुत्र भैरू,
2. महेन्द्रसिंह,
3. गुमानसिंह,
4. मेघसिंह,
5. किशनसिंह,
5. मोटासिंह,
6. नानूसिंह,
7. विजयसिंह पुत्र मानसिंह समस्त जातिगण रावत निवासी फारकिया तहसील नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. मोहनसिंह पुत्र मंगला,
2. भगवानसिंह पुत्र रतनसिंह,
3. छोटूसिंह पुत्र मंगला,
4. कमला पुत्री मंगला समस्त जातिगण रावत निवासी फारकिया तहसील नसीराबाद,
5. उपपंजीयन अधिकरी श्रीनगर उपतहसील श्रीनगर,
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 4 जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत,
5 व 6 जरियें राज. पैरोकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 28.11.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम फारकिया के चौसाला खसरा नम्बर 30 के वंर्किग खसरा नम्बर 52 रकबा 47—8—10 में से 2—12—0 के हाल खसरा नम्बर 109/3352 रकबा 0.29 की आराजी संवत 2032 से 2035 की खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील संवत 2038, 2035, 2036, 2049, 2050, 2042, 2027, 2022, 2033, 2034, 2039 में प्रार्थीगण के पूर्वज भैरू पुत्र उरजा रावत का सवंत 2022 अर्थात 50 वर्ष से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दी गयी। जिस कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल करने व भूमि का आगे हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी[illegible]पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण [illegible] नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 से 4 ने जवाब पेश [illegible] मुतनाजा से प्रार्थीगण को कोई संबध व सरोकार नही है। आराजी मुतनाजा [illegible] के पूर्वजों के नाम कभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नही रही ना ही 50 वर्षो से प्रार्थी के पक्ष में खातेदार के रूप में दर्ज नही है। प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या तथ्यों आधार पर उक्त आवेदन पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–**

ग्राम फारकिया के हाल खसरा नम्बर 109/3352 रकबा 0.29 हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी पूर्व में अप्रार्थीगण के पूर्वज की गैर खातेदारी में थी जिसे बाद में खातेदारी दर्ज किया गया। साबिक राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा सिवायचक थी। जिसे अप्रार्थीगण के पूर्वज को आवंटन किया गया। प्रार्थीगण/पूर्वज के नाम साबिक राजस्व अभिलेख में भूमि खातेदारी दर्ज नही रही। वंर्किग खसरा नम्बर 52 व चौसाला खसरा नम्बर 30 बडे रकबे का था। प्रार्थीगण के पूर्वज का उक्त आराजर पर कब्जा मात्र अतिक्रमी की हैसियत से ही रहा है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से सिद्व होगें। हाल इन्द्राज इस स्तर पर त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

2. **अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना** :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। साबिक राजस्व अभिलेख में भूमि प्रार्थीगण अथवा उनके पूर्वजों की खातेदारी में नही है। कब्जे के तथ्य मूल वाद में ही निर्धारित होगे। रिकार्डेड खातेदार को बिना किसी ठोस कारण के पाबंद नही किया जा सकता है। आराजी मुतनाजा अप्रार्थीगण के पूर्वज को आंवटित है। आवंटन के विरूद्व किसर अपील के तथ्य पत्रावली में नही है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. **सुविधा का संतुलन** :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :–ग्राम फारकिया के हाल खसरा नम्बर 109/3352 रकबा 0.29 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested